विद्यालय प्रबंधन समिति

सदस्यों की भूमिका व भागीदारी के लिए जानकारी पुस्तिका

शिक्षा का अधिकार कानून, 2009

CENTRE FOR SOCIAL EQUITY AND INCLUSION CSEI

MALALA FUND

विद्यालय प्रबंधन समिति
(School Management Committee)

Ø स्कूल प्रबंधन समिति या SMC शिक्षकों एवं अभिभावकों का एक साझा मंच है। इसे स्कूल प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट समिति , विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी व SMC भी कहते है! इसका का गठन का प्रावधान **मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (कानून) 2009** / राईट तो एडुकेशन (RTE) की किस **धारा 21** में किया गया है! स्कूल प्रबंधन समिति एक **संवैधानिक निकाय** क्यों की ये संबिधान के शिक्षा के अधिकार कानून में विवरणित प्रावधान से बनती है !

Ø स्कूल प्रबंधन समिति की आवश्यकता- माता पिता या अभिभावक सही रूप में अपने बच्चों को उचित साधन सुविधा एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करा सके इसके लिए आवश्यक है कि माता -पिता सभी अभिभावक विद्यालय प्रबंधन के निर्णयों में सहभागी बनें।

Ø स्कूल प्रबंधन समिति का निर्माण प्रक्रिया – प्रत्येक दूसरे वर्ष जुलाई माह में वार्षिक सत्र की शुरुआत में स्कूल प्रबंधन समिति का SMC के आम सदस्यों द्वारा चुनाव में 11 सदस्य चुनकर आते हैं ! और ये 11 सदस्य मिलकर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं ! इस 11 सदस्यों की समिति को ही कार्यकारिणी समिति कहा जाता है ! कार्यकारी बैठक स्कूल प्रबंधन समिति का **मुख्य स्तंभ** है ?
आम सभा के सदस्य सभी **6 से 8** कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता /अभिभावक होते है ! जैसे ही बच्चे स्कूल में प्रवेश लेते है उनके माता पिता/ अभिभावक अपने आप ही आम सभा के सदस्य हो जाते हैं इस समिति के सदस्यों की संख्या स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या पर निर्भर करती है । जिसमें से 75% सदस्य स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता / अभिभावक / संरक्षक होते है !

Ø विद्यालय प्रबंधन समिति में सदस्य - विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति का निर्वाचन साधारण सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता हैं इस समिति के कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए 16 सदस्य होते हैं कार्यकारिणी के कुल 16 सदस्यो में से 11 सदस्य अभिभावक होते हैं जिनमे छ महिलाएं होती (महिलाओं में एक महिला अनुसूचित जाति की और एक महिला अनुसूचित जनजाति की होना आवश्यक है ! होंगे तथा अधिकतम 5 सदस्य पदेन / मनोनीत आदि होते है !

SMC के सदस्यों की सदस्यता उनकी मृत्यु होने पर , त्यागपत्र देने पर , पदेन सदस्य के पद पर ना होने पर समाप्त हो जाती है ?

Ø 5 सदस्य पदेन / मनोनीत सदस्य - समाजसेवी, स्कूल में कार्यरत कोई एक शिक्षक, लेखपाल, सहायक नर्स उस गांव के वार्ड के व स्कूल का प्रिंसिपल जो समिति का पदेन सदस्य सचिव होता है ! कोई भी मंत्री इस प्रबंधन समिति का सदस्य नहीं होता है !

Ø विद्यालय प्रबंधन में विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका - इस समिति को स्कूलों के प्रदर्शन की निगरानी करने, स्कूल विकास योजना तैयार करने और राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित अन्य कार्यों को पूरा करने का अधिकार है। अध्ययन के दौरान जानकारी में पाया गया कि अधिकांश शिक्षक और माता-पिता अपने स्कूलों में एसएमसी के कामकाज से अवगत नहीं होते हैं।

Ø कार्यकारिणी समिति द्वारा विद्यालय प्रबंध समिति का वार्षिक बजट भी पारित किया जाता है!

Ø विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्यकाल- विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है! नए छात्रों का प्रवेश होने पर नए माता पिता स्वतः सदस्य हो जाते है और अठवी पास कर चुके बच्चों के उनके माता पिता / अभिभावक की सदस्यता स्वयं समाप्त हो जाती है! इ स प्रकार फिर से नए चुनाव किये जाते है सभी नए सदस्यों को चुनने के लिए !

Ø SMC के उद्देश्य - विद्यालय के विकास के लिए विद्यालय विकास योजना का निर्माण, स्वीकृति एवं विकास कोष बनाना, जिससे विद्यालय के भवन, उपस्कर एवं अन्य शैक्षिक सुविधाओं से सम्बन्धित विकास के कार्य किए जा सकेंगे!

Ø विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष -स्कूल प्रबंधन समिति का अध्यक्ष एक अभिभावक होता है और उपाध्यक्ष भी कोई अभिभावक ही होता है !जिसे आम सभा के सदस्य मिलकर वोट डालकर चुनते है! अध्यक्ष का काम सभी समिति की बैठकों और सम्मेलन बुलाने के लिए अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता करता है. निर्देशन द्वारा समिति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नेतृत्व प्रदान करता है, निगरानी और समिति की गतिविधियों का मूल्यांकन करता है ! विद्यालय प्रबंध समिति की कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष जो एक पदाधिकारी है जो प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय के प्रधानाध्यापक को आकस्मिक छुट्टी की स्वीकृति करने हेतु भी अधिकृत है!

Ø विद्यालय प्रबंधन समिति का उपाध्यक्ष स्कूल प्रबंधन समिति का उपाध्यक्ष भी कोई अभिभावक ही होता है!

Ø प्रिंसिपल का काम - बैठक आहूत करने की सूचना जारी करना है ! बैठक की कार्यवाही का विवरण तैयार करना उसका रिकॉर्ड रखना साधारण जनता के सामने अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना है ! स्कूल की वित्त संबंधी आंकड़े तैयार करना आदि है परन्तु हेडमास्टर का काम अध्यक्ष (जो की बच्चों के माता पिता / अभिभावक मे से एक चुना जाता है) उसके ना उपस्थित होने पर अध्यक्ष के कार्य करना बिल्कुल नहीं है ! प्रिंसिपल समिति का पदेन सदस्य सचिव होता है !

Ø विद्यालय प्रबंधन समिति में बैठकें-
-SMC के दो भाग होते हैं- साधारण सभा- व कार्यकारिणी समिति!
-साधारण सभा- इसकी बैठक वर्ष में न्यूनतम तीन और अधिकतम चार बैठक होती हैं अर्थात प्रत्येक तीन माह में एक बार !

- **कार्यकारिणी समिति-** इसकी बैठक एक वर्ष में न्यूनतम 11 और अधिक 12 होती हैं अर्थात एक माह में एक बार! इस लिए कार्यकारिणी समिति को 30 दिवस में एक बैठक बुलाना अनिवार्य होता है !
- **साधारण सभा** या **आम सभा** की वर्ष में कम से कम 3 बार बैठक अमावस्या को होती है ! यह सभा 15 अगस्त , 26 जनवरी तथा मार्च के तीसरे सप्ताह में होती है ! SMC की आम सभा आवश्यकता पड़ने पर अपनी बैठकें कभी भी बुला सकती है !

-जिसमें सभी सदस्य उपस्थित न भी हो मात्र कोरम पूरा हो मतलब कुल सदस्यों का **33 %** होने पर बैठक कर ली जाती है ! एक बार कोरम पूरा न होने पर मतलब 33 से कम सदस्यों की उपस्थिति न होने पर बैठक स्थगित कर दी जाती है परन्तु यदि ये दोबारा बैठक बुलाये जाने पर भी हो तो बैठक स्थगित नहीं की जाति और कर ली जाती है !

- **साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना 4 दिन पहले दी जनि चाहिए है!**
- **बैठक के बाद या पहले बैठक की कार्यवाही का विवरण तैयार करना SMC का कार्य बिल्कुल नहीं है !**
-

Ø विवाद- स्कूल प्रबंधन समिति में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाये तो विवादों का अंतिम न्यायालय जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) होता है , सारे मामले उसी के पास जाकर सुलझाये जा सकते है ग्राम पंचायत या अन्य किसी के पास बिलकुल नहीं !

Ø ऑडिट - स्कूल प्रबंधन समिति का वार्षिक ऑडिट ऑडिटर सहकारी समिति द्वारा किया जाता है !

स्कूल की कार्यकारिणी समिति या प्रबंधन समिति की मुख्य जिम्मेदारी

- स्कूल प्रवेश के से सभी SMC मेंबर अपनी भूमिका निभाए कोई भी बच्चा स्कूल से दाखिले से न छूटे!
- प्रत्येक तीन साल में स्कूल प्रबंधन समिति के चुनाव के लिए स्कूल को प्रेरित करें !
- स्कूल से स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों की जानकारी मांगे !
- महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें !
- सभी माता पिता जिनके बच्चे 6 से 8 कक्षा में है जाकर smc के चुनाव में भाग ले और इक्षुक होने पर चुनाव में खड़े हों !
- सर्वसम्मति से अध्यक्ष व उपधाक्ष चुने !
- तीन महीने में smc आप सभा की बैठक करवाए और स्कूल से सम्बंधित मुद्दों पर चर्चा करे और सर्व सम्मति से निर्णय पारित करवाए !
- smc की प्रतिमाह होने वाली बैठक में शामिल हो व अपनी सक्रिय भागीदारी निभाए सिर्फ उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर मात्र ना करें !
- समय पर मीटिंग की सूचना न मिलने पर शिकायत दर्ज करें
- नियमानुसार स्कूल में जो भी कमी हो पढाई शिक्षक बिल्डिंग कमरे पानी शौचालय दरी कुर्सी खेल सामग्री पुस्तक, वर्दी चार दिवारी बिजली पंखा आदि उसकी मांग smc बैठा में उठाये और मिलकर निर्णय पारित करके व्यवस्था करवाएं !
- स्कूल विकास योजना की ट्रेनिंग की मांग करें और फिर स्कूल विकास बनाये जिसमें जो भी स्कूल की जरुरत है उसकों शामिल करें !
- स्कूल के विकास में आने वाले बजट पर चर्चा करे और जरुरत के हिसाब से व्यय करने में मदद करें , बजट का ब्यौरा मांगे !
- बच्चों की पढाई के विषय में समय समय पर बच्चों और अभिबवकों से बात करे और पढाई की गुणवत्ता सुनिश्चित करे !
- शिकायत के निवारण में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले !

SMC सदस्य निम्नलिखित निगरानी करें -

- ·1 किलोमीटर पर प्राइमरी और 3 किलोमीटर पर उच्च प्राथमिक स्कूल मौजूद हो!
- ·6 से 14 साल के सभिबच्चे स्कूल में दाखिल हो और मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर रहे हो!
- ·14 साल तक का कोई भी बच्चा स्कूल से ड्रॉप आउट ना हो!
- ·प्रवेश के समय किसी भी कागज़ की मांग न की जाये और प्रवेश के बाद कोई तरह की फीस वसूली न हो!
- ·हर कक्षा के लिए शिक्षक हो व स्कूल में अध्यापक नियमित स्कूल आयें और नियमित सभी बच्चों को पढ़ायें!
- ·शिक्षकों की कमी की स्थिति में सहयोगी शिक्षकों की व्यवस्था कराएँ!
- ·सभी बच्चों को सत्र की शुरुआत में ही पाठ्य पुस्तके और वर्दी मुफ्त मिले!
- ·8 वीं तक कोई भी बच्चा स्कूल से निकला न जाये!
- ·स्कूल में किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का शरीरिक दंड या मानसिक प्रताड़ना न दी जाये!
- ·बच्चे स्कूल तक आसानी से आ और वापस जा सकें, मौसम अनुकुल स्कूल की ईमारत हो ,स्कूल मे चार दिवारी हो, खेल का मैदान हो,कमरों में रोशनी की व्यवस्था हो, खेलकूद के उपकरण हों!
- ·बच्चों की संख्या के हिसाब से अध्यापक और कमरों की व्यवस्था हो!
- ·बच्चों को समय पर गुणवत्तापूर्ण गर्म मध्यान भोजन मिले!
- ·सभी के लिए साफ पीने लायक और पर्याप्त पीने के पानी की व्यवस्था हो!
- ·लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग पानी की सुविधा के साथ शौचालय हो!
- ·किसी कारण स्कूल से बहार हुए या कभी स्कूल नहीं गए बच्चों का उम्र के हिसाब स्कूल में दाखिला करवायें!
- ·कोई बच्चा नियमित स्कूल नहीं आता है तो उसके माता पिता/संरक्षक / अभिभावक से बात करें और बच्चे को स्कूल आने के लिए प्रेरित करें!
- ·विशेष जरुरत वाले बच्चों के लिए रैंप , शौचालय, अध्यापक व पढ़ने के यन्त्र जैसे ब्रेल बुक्स ,सुनने के यन्त्र, सांकेतिक भाषा मे पढाई आदि हो!
- ·किसी भी तरह का भेदभाव जैसे -जाति ,वर्ग, रंग , नस्ल, जेंडर सामाजिक पहचान , व्यक्तिगत व्यवसाय, अमीरी - गरीबी आदि आधार पर बच्चों के साथ स्कूल में न हो!
- ·स्कूल में शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था करें!

Centre for Social Equity and Inclusion

Aligning People To Policy & Policy To People